रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2011/अग्रहायण 17, 1933

No. 257] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2011/AGRAHAYANA 17, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2011

फा. सं. 12015/13/2010-बी.सी. II.— जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट में दोनों सूचियों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को *अनुबंध-I* में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और *अनुबंध-II* में यथानिर्दिष्ट संकल्प के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने सोलह राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों नामशः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूचियों में समावेशन या संशोधन के लिए जातियों एवं समुदायों (उप जातियों एवं उनके पर्याय) की आगे सिफारिश की है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने एनसीबीसी की उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है, तथा उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, ***परिशिष्ट*** में यथानिर्दिष्ट उपरोक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त सूची में समावेशन एवं संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है । ये समावेशन और संशोधन राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

परिशिष्ट

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन करना:

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. छत्तीसगढ़
5. गोवा
6. हिमाचल प्रदेश
7. झारखंड
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. उड़ीसा
13. सिक्किम
14. तमिलनाडु
15. उत्तराखंड
16. पश्चिम बंगाल
17. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
18. चंडीगढ़
19. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
20. पुडुचेरी

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने एनसीबीसी की उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है, तथा उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, ***परिशिष्ट*** में यथानिर्दिष्ट उपरोक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त सूची में समावेशन एवं संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है । ये समावेशन और संशोधन राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

परिशिष्ट

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन करना:

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. छत्तीसगढ़
5. गोवा
6. हिमाचल प्रदेश
7. झारखंड
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. उड़ीसा
13. सिक्किम
14. तमिलनाडु
15. उत्तराखंड
16. पश्चिम बंगाल
17. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
18. चंडीगढ़
19. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
20. पुडुचेरी

56. शून्य	56. माली, सैनी, बागबान
57. शून्य	57. मनिहार, कचेर, लखेर, लखेरा (टिहरी गढवाल क्षेत्र में लखेरा ब्राहमण की उप-जाति के अतिरिक्त), चुड़ीहर
58. शून्य	58. मारछा
59. शून्य	59. मेवाती, मेव
60. शून्य	60. मरासी
61. शून्य	61. मोची (जो अनुसूचित जाति में शामिल हैं उनके अतिरिक्त)
62. शून्य	62. मोमिन, अंसार, अंसारी, जुलाहा
63. शून्य	63. मुराव या मुराई, मौर्य
64. शून्य	64. मुस्लिम कायस्थ
65. शून्य	65. नद्दाफ, धुनिया, मंसूरी, बहना, कंडेरे, केडरे, पिंजारा
66. शून्य	66. नलबंद, साइस
67. शून्य	67. नक्काल
68. शून्य	68. नायक
69. शून्य	69. नट ((जो अनुसूचित जाति में शामिल हैं उनके अतिरिक्त)
70. शून्य	70. पटवा, पटुआ, पटहारा (अग्रवाला, देवबंशी, खेरवाल या खंडेलवाल जोकि बनिया की उप जाति हैं और खेरवाल जोकि अपने को राजपूत के बराबर मानते हैं, के अतिरिक्त), ततवा
71. शून्य	71. राज (मेमार)
72. शून्य	72. रंगरेज, रंगवा
73. शून्य	73. सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
74. शून्य	74. शेख सरवरी (पिराई), पीराही
75. शून्य	75. सोनार, सुनार
76. शून्य	76. तमोली, बरई, चौरसिया
77. शून्य	77. तेली, सामानी, रोगनगर, तेली मलिक (मुस्लिम), तेली साहू, तेली राठौर
78.शून्य	78. उनाई साहू

अंडमान निकोबार द्वीप समूह

विद्यमान प्रविष्टि	*नई प्रविष्टि*
5. शून्य	5. भारत सरकार की विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत् द्वीप समूहों में बसे 1942 के पश्चात् के बंगाली अधिवासी

चंडीगढ़

विद्यमान प्रविष्टि	*संशोधित प्रविष्टि*
59. सुनार/स्वर्णकार	59. सोनी, सुनार/स्वर्णकार

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 8th December, 2011

F. No. 12015/13/2010-BC II.—Whereas the Common Central List of Other Backward Classes (OBCs) comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union territories vide Ministry of Welfare Resolutions as specified in **Annexure I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as NCBC) set up under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward class in the lists and hear complaints of over-inclusion and under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Central List has been modified, on the recommendations of NCBC, and notified from time to time by the Central Government vide Resolutions as specified in **Annexure II**;

And whereas, the NCBC has further recommended castes and communities (including ub-castes and their synonyms) for inclusion or amendment in the said Central Lists in respect of ixteen States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Himachal Pradesh, harkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, ttarakhand and West Bengal, and four Union territories, namely, Andaman & Nicobar Islands, handigarh, National Capital Territory of Delhi and Puducherry;

And whereas, the Central Government has considered and accepted the aforesaid commendations of the NCBC, and have decided to notify modifications in the Central Lists of BCs of the aforesaid States and Union territories;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the inclusion and endments in the said Central Lists of OBCs in respect of the aforesaid States and Union ritories, as specified in the **Appendix**. These inclusions and amendments shall take effect from date of publication of this Resolution in the Gazette.

APPENDIX

Part - A

LIST OF STATES/UTs IN RESPECT OF WHICH INCLUSION/AMENDMENTS IN THE CENTR OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) ARE BEING NOTIFIED

1. Andhra Pradesh
2. Assam
3. Bihar
4. Chhattisgarh
5. Goa
6. Himachal Pradesh
7. Jharkhand
8. Karnataka
9. Kerala
10. Madhya Pradesh
11. Maharashtra
12. Orissa
13. Sikkim
14. Tamil Nadu
15. Uttarakhand
16. West Bengal
17. Andaman & Nicobar Islands
18. Chandigarh
19. N.C.T. of Delhi
20. Puducherry

69. Nil	69. Nut (excluding those who are include the list of SCs)
70. Nil	70. Patwa, Patua, Pathar (exclud Agarwala, Deobansi, Kharewal or Khandel who are sub-caste of Baniya and Kharwar claim to the rank of Rajput), Tatwa
71. Nil	71. Raj (Memar)
72. Nil	72. Rangrez, Rangwa
73. Nil	73. Saqqa-Bhisti, Bhisti-Abbassi
74. Nil	74. Sheikh Sarvari (Pirai), Peerahi
75. Nil	75. Sonar, Sunar
76. Nil	76. Tamoli, Barai, Chaurasia
77. Nil	77. Teli, Samani, Rogangar, Teli Malik (Muslim), Teli Sahu, Teli Rathore
78. Nil	78. Unai Sahu

Andaman & Nicobar Islands

Existing Entry	New Entry
5. Nil	5. Post 1942 Bengali Settlers settled in the Islands under various rehabilitation schemes of Government of India.

Chandigarh

Existing Entry	Modified Entry
59. Sunar/Swarnakar	59. Soni, Sunar/Swarnakar

N.C.T. of Delhi

Existing Entry	Modified Entry
26. Julaha, Julaha- Ansari (excluding those in SCs)	26. Julaha, Ansari (whose traditional occupati weaving, excluding those in SCs)